कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उ0 प्र0
परिपत्रः सी– 31 /अधि0–2–6(3) दिनॉक लखनऊ 2 अगस्त 2015

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2015 को आयोजित कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये है कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा प्रीमियम की धनराशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जाये तथा सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों से बीमा प्रीमियम काटे जाने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये। उक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये है कि समस्त जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की फसल बीमा प्रीमियम की धनराशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित कर दी गयी है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि प्रदेश में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी कृषकों को स्वीकृत ऋणों का बीमाच्छादन एवं बीमा प्रीमियम की धनराशि की कटौती अनिवार्य रूप से किये जाने तथा सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों से बीमा प्रीमियम काटे जाने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित कर ले कि फसल बीमा प्रीमियम की धनराशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित कर दी गयी है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि भविष्य में दैवीय आपदा की स्थिति में कृषकों को हुये नुकसान के सम्बन्ध में उचित क्लेम प्राप्त हो सके एवं उनको अनावश्यक रूप से आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

(किशन सिंह अटोरिया),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक–सीः /अधि02–6(3) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।